संख्या-10/2026/449/47-का-2-2026-1862089

प्रेषक,

एम० देवराज,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 05-11-2026

विषय:- शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी०सी०-।।।, दिनांक 05.01.1996 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी०सी०-III दिनांक 05 जनवरी, 1996 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल व अन्य में पारित आदेश संख्या-1994(6) एस०सी०सी० 241 दिनांक 02 सितम्बर 1994 के अनुक्रम में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्रों की वैधता सुनिश्चित किये जाने/जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-22/16/92-का-2/1996-टी०सी०-III दिनांक 05 जनवरी, 1996 द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति का पुनर्गठन करते हुये राज्य स्तर पर निम्नानुसार 02 राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाता है:-

(क) अनुसूचित जाति /जनजाति हेतु समिति :

(1)	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-अध्यक्ष
(2)	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन	-सदस्य
(3)	अनुसूचित जाति/जनजाति के सम्बन्ध मे विषय का सम्यक ज्ञान रखने वाले अथवा अनुसूचित जाति/ जनजातिय समुदाय के वर्ग/भाग के चिन्हीकरण से सम्बन्धित शोध कार्य में लगे अधिकारी, जिन्हें प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित किया जाए	-अतिरिक्त सदस्य

1- उक्त शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(ख) पिछड़ी जाति हेतु समिति-

(1)	प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	-अध्यक्ष
(2)	निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश	-सदस्य
(3)	अन्य पिछड़ी जाति के सम्बन्ध मे विषय का सम्यक ज्ञान रखने वाले अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के वर्ग/भाग के चिन्हीकरण से सम्बन्धित शोध कार्य में लगे अधिकारी, जिन्हें प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा नामित किया जाए	-अतिरिक्त सदस्य

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तर पर उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार गठित समितियों द्वारा शासनादेश संख्या-428(1)/26-3-2010, दिनांक 27.01.2011 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डलीय अपीलीय फोरम द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटियों के समक्ष योजित की गयी अपीलों में अपने-अपने विषयगत प्रकरणों पर सुनवाई कर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

भवदीय,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव।

पत्र-10/2026/ 449(1) /47-का-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
4- निदेशक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
5- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7- निबन्धक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच।
8- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
9- सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
10- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ०प्र०।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव।

1- उक्त शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in